दहशत कोनी खुर्द गांव में तेंदुआ की दहशत बरकरार

तेंदुआ ने बछड़े का किया शिकार

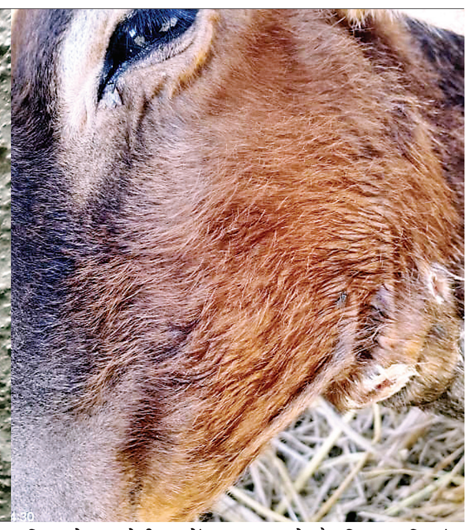

बेलखाडू (जबलपुर) नवभारत। कटंगी रोड से उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर मुरई होते हुए कोनी खुर्द ग्राम में तेंदुआ के आतंक से ग्रामीण जन दहशत में हैं। लगभग 4 सौ की आबादी वाले इस गांव में आदिवासी लोगों की बहुसंख्या है जो बकरी पालन पर निर्भर है। इस क्षेत्र में पिछले 15 दिन से तेंदुआ की हलचल चल रही थी लेकिन अब वह खूंखार बनकर मवेशियों पर प्राणघातक हमले करने लगा है जिससे गांव एवं आस पास के क्षेत्र में भय व्याप्त है। कुछ दिन पहले गाय पर एवं शुक्रवार को बकरी पर हमला कर तेंदुआ भाग गया था। शनिवार को तेंदुआ ने जंगली वृक्षों के बीच एक बछड़े पर हमला कर दिया जिससे बछड़े की मौत हो गई।

ग्राम के छोटे लाल गौड, टिक्कू सहगौड, प्रकाश शिवहरे, बसोरी लाल ने बताया कि गांव के लोग तेंदुए से डर डर जी रहे उसका कब हमला हो जाए। इन्होंने बताया कि कोनी खुर्द में दादा मृगनन्नाथ गौ शाला भी है जिसमें गायों को पालकर कर सेवा की जाती है। यहीं पर पिछले चार दिन से तेंदुआ इर्द गिर्द घूम कर बड़े हमले की फिराक में है। गांव वालों ने प्रशासन से तेंदुआ पकड़ने के लिए अभिलंब जाल बिछाने एवं पिंजरा लगाने की मांग की है। वहीं वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से सुबह व शाम को जंगली इलाकों में अकेले न जाने की सलाह दी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांव में तेंदुआ के मूवमेंट को लेकर वन विभाग की टीम की गश्ती बढ़ा दी गई है।

एमपी ट्रांसको की अनूठी पहल : साइबर क्विज प्रतियोगिता में दिखाया हुनर

नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) द्वारा कार्मिकों के साथ उनके परिवारजनों को जोड़ते हुए पहली बार साइबर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस साइबर क्विज के माध्यम से साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार आदि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिनके जरिए प्रतिभागियों की समझ और सतर्कता को परख कर उन्हें सही उत्तर बताये गए। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न ट्रांसको कार्यालय के 85 कार्मिकों और उनके पारिवारिक सदस्यों सहित कुल 198 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जबलपुर स्काडा सेंटर के सैयद आज़म अली ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर मुख्य वित्त अधिकारीजबलपुर कार्यालय मे पदस्थ योगेश जैन औरतृतीय स्थान सिवनी के कार्यपालन अभियंता विकास भरिया को हासिल हुआ। क्विज आयोजित करने में प्रोग्रामर प्रवीण शुक्ला का विशेष योगदान रहा। इस अभिनव पहल के सूत्रधार डाक्टर हिमांशु श्रीवास्तव की महत्वपूर्ण पहल से इस अनूठी साइबर क्विज की शुरुआत संभव हो सकी। एमपी ट्रांसको के प्रबंध संचालक ने इस अनोखी क्विज आयोजित करने के लिए संयोजक और प्रतिभागियों का अभिनंदन करते हुए विजेताओं को बधाई प्रेषित की है।

संयुक्त रजक समाज सभा की बैठक

जबलपुर। संयुक्त रजक समाज सभा की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन संयुक्त रजक समाज सभा गौरी घाट धर्मशाला जबलपुर में किया गया. बैठक में निर्णय लिया गया कि 20 दिसंबर को संत गाडगे महाराज के निर्वाण दिवस पर 21 दिसंबर रविवार को संयुक्त रजक समाज सभा ग्वारीघाट धर्मशाला में संत गाडगे महाराज की मूर्ति की स्थापना एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. बैठक में अध्यक्ष रमेश रजक, ओम प्रकाश रजक,राजेंद्र रजक, आलोक रजक, अजय रजक, राणा रजक सहित समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे.

लखनादौन को जिला बनाने उठी आवाज

नवभारत,जबलपुर। लखनादौन एवं घंसौर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने जल आपूर्ति, कृषि-पशुधन विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार, लखनादौन को जिला घोषित करने , उचित परिसीमन निर्धारण सहित पाँच प्रमुख मांगों को लेकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन के माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के खेल मंत्री, जल संसाधन मंत्री, मुख्यमंत्री ,परिसीमन आयोग तक प्रेषित किया है। जनप्रतिनिधियों ने बरगी बांध से लखनादौन तक डक्ट/लिफ्ट एरिकेशन अथवा नहर प्रणाली से सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की माँग की है, ताकि पेयजल एवं सिंचाई संकट का स्थायी समाधान हो सके। साथ ही किसानों व मजदूरों के लिए सिचाई, बीज, उर्वरक तथा बाजार से जुड़ी एक समग्र कृषि कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। वहीं पशुपालकों के लिए नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन तथा पशु स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने हेतु 'पशुधन विकास क्रांति' लागू करने की माँग भी ज्ञापन में शामिल है। ज्ञापन पर अधिवक्ता महेश कुमार वट्टी (पूर्व प्रत्याशी, मंडला—गोंडवाना गणतंत्र पार्टी), अधिवक्ता संघ लखनादौन तथा विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं।प्रतिनिधियों ने संबंधित विभागों से 30 दिनों के भीतर लिखित उत्तर प्रदान करने की मांग की है।

गंदगी फ़ैलाने वालों से जुर्माना वसूला

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मण्डलों के सभी स्टेशनों पर स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से नवम्बर कुल आठ माह में गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में कुल 12,550 व्यक्तियों के मामले पकडे गए, जिनसे कुल 24 लाख 82 हजार 940 रूपये जुर्माना वसूला गया। अकेले नवम्बर माह में गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में कुल 1331 व्यक्तियों के मामले पकडे गए, जिनसे कुल 02 लाख 70 हजार 850 रूपये जुर्माना वसूला गया।

निर्माणाधीन मकान में छिपा था चार फीट लंबा सांप

जबलपुर। विजय नगर थानांतर्गत विजय नगर स्थित एक निर्माणाधीन मकान में दोपहर ढाई बजे ईंटों के ढेर में एक चार फीट लंबा सांप छिपा था। जिसे देखकर वहां मजदूरों के बीच हड़कंप मच गया। स्थानीय महेंद्र सेन की सूचना पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे ने रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।

अवैध रूप से मुरम ले जाते हाईवा पकड़ाया

जबलपुर। हाईवा में अवैध रूप से मुरूम लोड कर ले जाने वाला हाईवा चालक को बरगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरगी थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी हेमंत कुमार ने बताया कि सालीवाड़ा फाटक के पास हाईवे रोड में हाईवा ट्रक क्रमांक एमपी 22 एच 1476को रोक गया हाईवा चालक संदीप यादव 29 वर्ष निवासी ग्राम खमरिया निगरी थाना बरगी से हाईवा से खाली की हुई मुरूम के संबंध में पूछताछ करने पर रायल्टी एवं वाहन के मौके पर दस्तावेज नहीं होना बताया। हाईवा मालिक अभिषेक यादव निवासी खमरिया के कहने पर मानेगांव से हाईवा में मुरूम भरकर बरगी बेचने के लिये जाना बताया, आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया।

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)

प्रारूप-V (नियम 10 देखे)

रा.जा.क्र.32/अ-82/2024-25 मौजा ग्राम-मड़वा प.ह.नं. - 28/75 तहसील-नरसिंहपुर

धारा 19(1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव राजस्व विभाग

क्र. 1270/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2025 — नरसिंहपुर, दिनांक 08/12/2025

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन मछरेवा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम- मड़वा प.ह.न. 32/82 नं.ब. 451 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 0.075 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.075 हेक्टेयर है ग्राम मडवा तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

ग्राम-मड़वा तहसील-नरसिंहपुर प.ह.नं. - 32/82

क्रमांक	हितग्राही का नाम और पता	खसरा संख्या	कुल रकबा हेक्टेयर	अर्जन हेतु रकबा (हे.)	(सिंचित/ असंचित)	रिमार्क
1	दीपसिंह पिता तेजराम लक्ष्मीबाई, त्रिवेणी बाई पिता दीपसिंह गौड़ पता मड़वा नरसिंहपुर नरसिंहपुर म.प्र.	2/9	0.607	0.075	सिंचित	
	योग		0.607	0.075		

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
2. कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।
3. मछरेवा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

(मणिन्द्र कुमार सिंह)
अनुविभीगीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी नरसिंहपुर

(रजनी सिंह)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

जी-22653/25 — बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड-सिवनी (म.प्र.)

विज्ञापन पत्र क्रमांक/3827/व.ले.लि/का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड/2025 — **निविदा आमंत्रण सूचना (संक्षिप्त)** — सिवनी, दिनांक : 08/12/2025

निम्नलिखित कार्य की निविदा प्रक्रिया ई-प्रोक्यूरमेंट ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है:-

निविदा सूचना क्रमांक/दिनांक	ई-टेण्डरिंग पद्धति क्रमांक	कार्य का नाम	कुल अनुमानित लागत (रू.लाख में)	कुल अमानती राशि (रू.में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू.में)	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	समय अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
20/नि.प्र./ 2025-26 दिनांक 08/12/2025	2025_ PHED_ 462799_1	सिवनी जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सिवनी अंतर्गत उपखण्डीय जल परीक्षण प्रयोगशाला सिवनी हेतु एन.ए.बी.एल. ग्लास वेयर्स एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति का कार्य।	4.21	8,420.00	2,000.00	29/12/2025	29/12/2025	45 दिवस (वर्षाकाल छोड़कर)	म.प्र.लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत फर्म/ठेकेदार।

जी-22679/25 — स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सिवनी (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल: cepwdcapital@mp.nic.in दूरभाष/फेक्स. 0755-2551403

निविदा सूचना क्र. 18/सा/01/विविध/2019(वर्ष 2025) — **निविदा सूचना** — भोपाल, दिनांक 05/12/2025

निम्नानुसार कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य अनुमानित राशि (रू. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2025_PWDRB _466369_1	विदिशा	मार्ग	विदिशा रेल्वे स्टेशन महादेव गंज चौक मुख्य मार्ग से पैदी स्कूल चाणक्य मार्ग से बजरिया झांकी चौक व्याहा शिवाजी चौक लं. 2.30 कि.मी.।	चतुर्थ	663.82	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाना है।
2.	2025_PWDRB _466370_1	भोपाल(संधा.स. क्र.-2 भोपाल)	मार्ग	बालमपुर मार्ग लं. 3.30 कि.मी. का निर्माण।	द्वितीय	542.29	
3.	2025_PWDRB _466371_1	भोपाल(संधा.स. क्र.-2 भोपाल)	मार्ग	भोपाल विदिशा मार्ग (दरबार हाउस) से जमुनिया व्हाया ग्राम बालमपुर (पुराने बाबड़ी) मार्ग लं. 4.90 कि.मी. का निर्माण।	द्वितीय	562.95	
4.	2025_PWDRB _466372_1	बैतूल	मार्ग	पीपलबर्रा से चिरोटिया बरोजपुर मार्ग लं. 3.50 कि.मी. का निर्माण।	द्वितीय	508.13	
5.	2025_PWDRB _466373_1	हरदा	मार्ग	सोडलपुर से सोतड़ा मार्ग लं. 5.55 कि.मी. का निर्माण।	प्रथम	575.83	
					योग	2853.02	

उपरोकत वेबसाइट पर ऑनलाईन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने अंतिम तिथि 22/12/2025 (17.30) बजे तक निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट में पर देखा जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

जी-22667/25 — स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता — मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल परिक्षेत्र भोपाल

कार्यालय तहसीलदार, तहसील पनागर जिला जबलपुर

रा.प्र.क्र./0080/बी-121/2025-26
पनागर, दिनांक 12/12/2025

आम इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता एवं ग्राम बघोडा प.ह.नं. 67 तहसील पनागर जिला जबलपुर को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी जबलपुर जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/557/अनु./दण्डा/2025 जबलपुर दिनांक 10/12/2025 के माध्यम से आवेदक भविष्य अग्रवाल प्रो. से. माँ शारदा ट्रेडिंग द्वारा प.ह.नं. 67 ग्राम बघौडा महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर म.प्र. स्थित खसरा नं. 353/1 में स्थित प्रस्तावित गोदाम में आतिशवाजी / सेफ्टी फ्यूज कब्जा करने के लिये गोदाम के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति लिखित में आपत्ति मय दस्तावेज पेशी दिनांक तक इस न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के द्वारा पेश कर सकता है। पेशी अवधि व्यतीत हो जाने पर प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह इश्तहार न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जारी दिनांक - 12/12/2025
पेशी दिनांक - 19/12/2025

तहसीलदार
पनागर

कार्यालय तहसीलदार, तहसील पनागर जिला जबलपुर

रा.प्र.क्र./0081/बी-121/2025-26
पनागर, दिनांक 12/12/2025

आम इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता एवं ग्राम बघोडा प.ह.नं. 67 तहसील पनागर जिला जबलपुर को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी जबलपुर जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/558/अनु./दण्डा/2025 जबलपुर दिनांक 10/12/2025 के माध्यम से आवेदक भविष्य अग्रवाल प्रो. से. माँ शारदा ट्रेडिंग द्वारा प.ह.नं. 67 ग्राम बघौडा महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर म.प्र. स्थित खसरा नं. 353/1 में स्थित प्रस्तावित गोदाम में आतिशवाजी / सेफ्टी फ्यूज कब्जा करने के लिये गोदाम के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति लिखित में आपत्ति मय दस्तावेज पेशी दिनांक तक इस न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के द्वारा पेश कर सकता है। पेशी अवधि व्यतीत हो जाने पर प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह इश्तहार न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जारी दिनांक - 12/12/2025
पेशी दिनांक - 19/12/2025

तहसीलदार
पनागर

कार्यालय तहसीलदार, तहसील पनागर जिला जबलपुर

रा.प्र.क्र./0082/बी-121/2025-26
पनागर, दिनांक 12/12/2025

आम इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता एवं ग्राम बघोडा प.ह.नं. 67 तहसील पनागर जिला जबलपुर को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी जबलपुर जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/559/अनु./दण्डा/2025 जबलपुर दिनांक 10/12/2025 के माध्यम से आवेदक भविष्य अग्रवाल प्रो. से. माँ शारदा ट्रेडिंग द्वारा प.ह.नं. 67 ग्राम बघौडा महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर म.प्र. स्थित खसरा नं. 353/1 में स्थित प्रस्तावित गोदाम में आतिशवाजी / सेफ्टी फ्यूज कब्जा करने के लिये गोदाम के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति लिखित में आपत्ति मय दस्तावेज पेशी दिनांक तक इस न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के द्वारा पेश कर सकता है। पेशी अवधि व्यतीत हो जाने पर प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह इश्तहार न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जारी दिनांक - 12/12/2025
पेशी दिनांक - 19/12/2025

तहसीलदार
पनागर

कार्यालय तहसीलदार, तहसील पनागर जिला जबलपुर

रा.प्र.क्र./0083/बी-121/2025-26
पनागर, दिनांक 12/12/2025

आम इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता एवं ग्राम बघोडा प.ह.नं. 67 तहसील पनागर जिला जबलपुर को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी जबलपुर जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/560/अनु./दण्डा/2025 जबलपुर दिनांक 10/12/2025 के माध्यम से आवेदक भविष्य अग्रवाल प्रो. से. माँ शारदा ट्रेडिंग द्वारा प.ह.नं. 67 ग्राम बघौडा महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर म.प्र. स्थित खसरा नं. 353/1 में स्थित प्रस्तावित गोदाम में आतिशवाजी / सेफ्टी फ्यूज कब्जा करने के लिये गोदाम (Fire Works Store House No. A) के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति लिखित में आपत्ति मय दस्तावेज पेशी दिनांक तक इस न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के द्वारा पेश कर सकता है। पेशी अवधि व्यतीत हो जाने पर प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह इश्तहार न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जारी दिनांक - 12/12/2025
पेशी दिनांक - 19/12/2025

तहसीलदार
पनागर

कार्यालय तहसीलदार, तहसील पनागर जिला जबलपुर

रा.प्र.क्र./0084/बी-121/2025-26
पनागर, दिनांक 12/12/2025

आम इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता एवं ग्राम बघोडा प.ह.नं. 67 तहसील पनागर जिला जबलपुर को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी जबलपुर जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/561/अनु./दण्डा/2025 जबलपुर दिनांक 10/12/2025 के माध्यम से आवेदक भविष्य अग्रवाल प्रो. से. माँ शारदा ट्रेडिंग द्वारा प.ह.नं. 67 ग्राम बघौडा महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर म.प्र. स्थित खसरा नं. 353/1 में स्थित प्रस्तावित गोदाम में आतिशवाजी / सेफ्टी फ्यूज कब्जा करने के लिये गोदाम (Fire Works Store House No. B) के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति लिखित में आपत्ति मय दस्तावेज पेशी दिनांक तक इस न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के द्वारा पेश कर सकता है। पेशी अवधि व्यतीत हो जाने पर प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह इश्तहार न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जारी दिनांक - 12/12/2025
पेशी दिनांक - 19/12/2025

तहसीलदार
पनागर

कार्यालय तहसीलदार, तहसील पनागर जिला जबलपुर

रा.प्र.क्र./0085/बी-121/2025-26
पनागर, दिनांक 12/12/2025

आम इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता एवं ग्राम बघोडा प.ह.नं. 67 तहसील पनागर जिला जबलपुर को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी जबलपुर जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/562/अनु./दण्डा/2025 जबलपुर दिनांक 10/12/2025 के माध्यम से आवेदक भविष्य अग्रवाल प्रो. से. माँ शारदा ट्रेडिंग द्वारा प.ह.नं. 67 ग्राम बघौडा महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर म.प्र. स्थित खसरा नं. 353/1 में स्थित प्रस्तावित गोदाम में आतिशवाजी / सेफ्टी फ्यूज कब्जा करने के लिये गोदाम (Fire Works Store House No. C) के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति लिखित में आपत्ति मय दस्तावेज पेशी दिनांक तक इस न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के द्वारा पेश कर सकता है। पेशी अवधि व्यतीत हो जाने पर प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह इश्तहार न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जारी दिनांक - 12/12/2025
पेशी दिनांक - 19/12/2025

तहसीलदार
पनागर

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार क्रेता श्रीमति पूजा सिंह पति दिनेश सिंह, श्रीमति सरिता पति खिलावन सिंह दोनों निवासी- वार्ड नं. 12 शहपुरा भिटोनी जिला जबलपुर की ओर से अधिकृत होकर आम जनता को सूचित करता हू कि संपत्ति स्वामी विक्रेता श्रीमति माया गुप्ता पति स्व. चुनुबाद गुप्ता, श्रीमति उषा गुप्ता पति स्व. इन्द्रेश गुप्ता, बृजेश गुप्ता पिता स्व. चुनुबाद गुप्ता तीनों निवासी- 601 गौतम गंज गढ़ा जबलपुर म.प्र. के स्वामित्व की संपत्ति प्लाट रकवा 30×50=1500 वर्गफुट जो ग्राम कुंगवां, बंदोबस्त 499, हल्का नं. 34, ख.नं. 33 नया 84 प्लाट क्रमांक 153 जो पीएनटी कॉलोनी ग्राम कुंगवां तहसील गोरखपुर जिला जबलपुर म.प्र. में स्थित है। जिसे खरीदने का सौदा मेरे पक्षकार ने तय कर लिया है जिसका निकट भविष्य में पंजीयन होना शेष है अतः उपरोक्त संपत्ति के विक्रय में यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, नाते रिश्तेदार इत्यादि किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह सूचना प्रकाशन दिनांक से 10 दिवस के अंदर मेरे पक्षकार अथवा मुझे प्रमाणित दस्तावेजों सहित आपत्ति दर्ज करावें। निर्धारित अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी और मेरा पक्षकार उपरोक्त संपत्ति का पंजीयन अपने नाम करा लेगा। जबलपुर दिनांक 14.12.2025 भवदीय-

राकेश द्विवेदी एडवोकेट
पता- मदनमहल जबलपुर
मो.-9407338374, 9074338167

नवभारत

आवश्यकता है

पद की योग्यता

देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।

एकाउंटेंट
(बी.कॉम.व टेली एवं 2 वर्ष का अनुभव)

बिलिंग ऑपरेटर
(एमआईएस एवं 5 वर्ष का अनुभव)

रिपोर्टर (महिला+ पुरुष)
(2 वर्ष का अनुभव एवं बी.जे.सी एवं एम.जे.सी)

डीटीपी ऑपरेटर
(5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)

रिकवरी एग्जीक्यूटिव
(ग्रेजुएशन एवं 5 वर्ष का अनुभव)

संपर्क करें

कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर
(दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक)

9752721239, 8305852507

hr.navabharat1934@gmail.com